तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टी.ए./13242/2004/बीकानेर सरकार बनाम दली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित–

श्री बिजेन्द्र चौधरी, अति. राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री अरविन्द मिश्रा, ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 27.02.2019

यह रेफरेन्स कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 27–04–2004 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, कोलायत नम्बर–4 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के पक्ष में सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–09–1991 अनियमित एवं विधि विरूद्ध है तथा प्रचलित कानून में गैर खातेदारी अधिकार घोषणा का प्रावधान नहीं है। सहायक आयुक्त ने केवल मात्र दो व्यक्तियों के मौखिक बयान के आधार पर दावा डिक्री कर विवादित आराजी चक नम्बर 15सीडब्ल्यूवी के मुरब्बा 6/13 किला नम्बर 2 से 25 कुल 25बीघा भूमि पर अप्रार्थी को गैर खातेदार घोषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 21–09–1993 से सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–09–1989 को निरस्त कराने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल में प्रेषित किया गया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अति. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टी.ए./13242/2004/बीकानेर सरकार बनाम दली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–09–1991 अनियमित एवं विधि विरूद्ध है। उक्त निर्णय एवं डिक्री से विवादित 25 बीघा भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त मानते हुए रिकार्ड में अप्रार्थी को गैरखातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। उनका कथन है कि विवादित भूमि अप्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि नहीं है। उनका कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे विवादित भूमि उसके कब्जे काश्त की होना प्रमाणित हो। अतः प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–09–1991 को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थनापत्र में वर्णित अंकित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि रेफरेन्स अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जो मियाद के बिन्दू पर खारिज किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत ने उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि राज्य सरकार उक्त निर्णय एवं डिक्री से अपने आपको व्यथित मानती है तो उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत नहीं चाहिए थी। उनका कथन है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15–1–1992 के बाद उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के पास कलक्टर की शक्तियां नहीं होने से उन्हें रेफरेन्स प्रेषित करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्राथमिक आपत्ति के प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर प्रस्तुत खारिज किया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टी.ए./13242/2004/बीकानेर सरकार बनाम दली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभयपक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित अनुशाषाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने प्राथमिक आपत्ति के प्रार्थनापत्र में रेफरेन्स प्रस्तुत करने का वर्ष 2011 अंकित है जबकि मण्डल के समक्ष रेफरेन्स दिनांक 24–05–2004 को प्रस्तुत हो चुका था। अतः प्राथमिक आपत्ति में गलत तथ्य अंकित होने से प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या– प–4 (6) उपनि/91 दिनांक 15–01–1992 से उपनिवेशन क्षेत्र हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 की शक्तियां उपनिवेशन आयुक्त को प्रदान की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने रेफरेन्स के माध्यम से सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–09–1991 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है, जो प्रावधित प्रावधानों के तहत संधारण योग्य नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत रेफरेन्स आयुक्त उपनिवेशन को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक समझे तो उभयपक्ष को सुनकर पुनः मण्डल के समक्ष प्रस्तुत रेफरेन्स प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	